P-1 अभिकरण का सृजन (Creation of Agency)
अभिकरण की स्थापना के विभिन्न तरीके
(Different Modes for creation of Agency)
Manvendra Mandal | Subject - Contract-II
part-time Lecturer |

ऐन्सन महोदय ने अभिकरण की स्थापना के निम्न पाँच तरीकों का उल्लेख किया है, जिसका स्पष्टीकरण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में किया गया है -

① स्वामी के अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार द्वारा (By Express or Implied authority)

② अनुसमर्थन द्वारा (By Ratification)

③ दृश्यमान प्राधिकार द्वारा (By ostensible authority)

④ आवश्यकता से (आवश्यकताजन्य अभिकरण (By Necessity)

⑤ विबन्ध द्वारा अभिकरण (Agency by Estoppel)

(1(क) स्वामी के अभिव्यक्त नियोजन द्वारा अभिकरण की स्थापना - कोई भी व्यक्ति स्वामी की इच्छा के बिना उसका अभिकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए Agency का निर्माण संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति को Agent के रूप में नियोजित करके किया जा सकता है। एक अवयस्क व्यक्ति अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता परन्तु वह Agent के रूप में नियोजित किया जा सकता है। अभिव्यक्त नियोजन का आशय, जब नियोजन written or oral शब्दों द्वारा होता है, तब उसे अभिव्यक्त (Express) नियोजन कहते हैं, जिसके अंतर्गत अभिकर्ता को दिये गये प्राधिकार भी लिखित या मौखिक होते हैं, जिसके आधार पर नियुक्त व्यक्ति कार्य करता है या मालिक का प्रतिनिधित्व करता है जो कार्य अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक की ओर से किया जाता है और उसके प्राधिकार क्षेत्र में होता है तो वह मालिक पर बाध्यकारी होता है।

(ख) विवक्षित तौर पर या आचरण द्वारा अभिकरण की स्थापना - वैसे अभिकरण का निर्माण, स्वामी द्वारा अभिव्यक्त रूप से किया जा सकता है। कभी-कभी पक्षकारों के आचरण या परिस्थिति, सम्बन्धों से भी अभिकरण की स्थापना होती है। जब किसी व्यक्ति के आचरण से या मामलों के

P-2 अभिकरण की स्थापना के विभिन्न तरीके (Different Modes for Creation of Agency)

परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसका अभिकर्ता है तो उसके मध्य विवक्षित अभिकरण का निर्माण हो जाता है चाहे भले ही उसने वास्तव में उस दूसरे व्यक्ति को अभिकर्ता के रूप में नियुक्त न किया हो। इस तर्क के समर्थन में स्मिथ बनाम मायर्स का वाद उल्लेखनीय है। इस वाद में एक माँ ने अपने पुत्र को कार दिया। कार का सारा खर्च माँ वहन करती थी। पुत्र के असावधानी से दुर्घटना हुई। न्यायालय द्वारा माँ और पुत्र के मध्य विवक्षित अभिकरण माना गया। और माँ पुत्र द्वारा की गई दुर्घटना के लिए दायी थी।

(2) अनुसमर्थन द्वारा (By Ratification) अभिकरण की स्थापना (धारा-196-200)

अनुसमर्थन करना एक विवेकीय अधिकार है। जब एक व्यक्ति दूसरे के लिए, उसकी सहमति या ज्ञान के बिना, कोई कार्य करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प प्राप्त होता है। यदि वह उस कार्य की पुष्टि या अनुसमर्थन कर दे तो यह मान लिया जाता है कि कार्य उसकी सहमति, ज्ञान या प्राधिकार से किया गया है। इस प्रकार अनुसमर्थन का अर्थ बिना अधिकार से किये गये कार्यों को स्वीकार करना होता है। उदाहरण के लिए 'क' 'ख' के प्राधिकार के बिना उसके लिए वस्तुएँ खरीदता है। तत्पश्चात ख अपने एकाउण्ट से 'ग' को विक्रय कर देता है, यहाँ पर ख का यह व्यवहार क द्वारा किये गये कार्य का अनुसमर्थन करता है।

(3) दृश्यमान प्राधिकार द्वारा अभिकरण → दृश्यमान प्राधिकार Estoppel के सिद्धान्त का उपयोजन है। इस सिद्धान्त के अनुसार वह व्यक्ति उन कार्यों एवं संव्यवहारों के लिए उत्तरदायी हो सकता है जो कार्य उसके अभिव्यक्त व विवक्षित प्राधिकार या अनुसमर्थन के बिना हुआ है।

जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण से, तीसरे व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि उस प्रकार के कार्य एवं दायित्व ~~नियुक्त~~ के प्राधिकार की सीमा में थे, तब वह ~~नियुक्त~~ प्राधिकार के बिना, अपने मालिक के लिए तीसरे व्यक्ति के प्रति जो कार्य करता है या दायित्व निभाता है तो उस कार्य या दायित्व से मालिक बाध्य होगा। यह दायित्व किसी वास्तविक प्राधिकार पर आधारित नहीं है, बल्कि Estoppel द्वारा आरोपित होते हुए दृश्यमान प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। दृश्यमान प्राधिकार की व्याख्या हेली-

Scanned with CamScanner

[-3 अभिकरण की स्थापना के विभिन्न तरीके
Different Modes for Creation of Agency

हेचिन्सन बनाम ब्रेहेड लि० के वाद में लार्ड जस्टिस डेनिंग ने इस प्रकार किया है— "दृश्यमान प्राधिकार का अर्थ है 'दूसरे को दृष्टिगोचर होने वाला प्राधिकार'। जब किसी कम्पनी में कोई निदेशक, निदेशक-मण्डल द्वारा, प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक व दृश्यमान प्राधिकार के अन्तर्गत सभी कार्य करने के लिए सक्षम है जो कार्य प्रबन्ध निदेशक प्राय: किया करते हैं कभी-कभी दृश्यमान प्राधिकार को प्रतिबन्धित कर दिया जाता है तो प्रतिबन्ध की सीमा तक का प्राधिकार वास्तविक प्राधिकार होता है, लेकिन तृतीय व्यक्ति के प्रति कम्पनी उसके द्वारा दृश्यमान प्राधिकार के क्षेत्र में किये गये कार्य से बाध्य होगा क्योंकि देखने में वह कार्य नीदृश्य के अधिकार क्षेत्र में आता है" यदि तीसरे व्यक्ति को अभिकर्ता के प्राधिकार पर लगाई गई सीमा का ज्ञान या सूचना हो तो ऐसे प्रतिबन्ध से बाध्य होगा।

(1) जब अभिकर्ता ने तीसरे व्यक्ति के प्रति कार्य किया है या उत्तरदायित्व निभाया है।
(2) कार्य मालिक के लिए किया है।
(3) कार्य व्यापार के अनुक्रम में हुआ है।
(4) जो मालिक के प्राधिकार के बिना किया है।
(5) मालिक ने शब्दों या आचरण द्वारा, तीसरे व्यक्ति को उत्प्रेरित किया है कि वे कार्य या दायित्व प्राधिकार के अन्दर है। ऐसी स्थिति में मालिक उन कार्यों व दायित्वों से बाध्य होगा। दृश्यमान प्राधिकार मालिक के आचरण से भी उत्पन्न होता है और एक बार स्थापित हो जाने पर, तब तक चलता रहता है जब तक उसकी समाप्ति की सूचना तीसरे व्यक्ति को दे दी जाय।

(4) आवश्यकता से उत्पन्न अभिकरण (Agency of Necessity) न्यायाधीश स्करन के मतानुसार "आवश्यकता का अभिकरण विद्यमान अभिकरण से उत्पन्न होता है और ऐसी अनपेक्षित घटनाओं में लागू होता है जिनका प्रावधान अभिकरण की संविदा में न हो" अर्थात अभिकरण का सम्बन्ध न होते

Scanned with CamScanner

P-4 अभिकरण की स्थापना के विभिन्न तरीके
(Different Modes for Creation of Agency)

पर यह सिद्धान्त भी लागू नहीं होता है। यह सिद्धान्त वहाँ पर लागू नहीं होगा जहाँ पर मालिक का निर्देश लेना संभव न हो। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि संकट की घड़ी में जहाँ मालिक से प्राधिकार या सहमति प्राप्त करना बिल्कुल असंभव हो तथा अभिकर्ता ऐसा कार्य करता है जो उस समय या परिस्थिति में आवश्यक हो तो ऐसे कार्यों से मालिक बाध्य होगा। ऐसे अभिकरण के सम्बन्ध में स्टोरी ने अपना विचार व्यक्त किया है कि Agent को दिये गये प्राधिकार सीमित होते हैं। कभी-कभी Agent ऐसे संकट में आ जाते हैं कि उनसे सुरक्षा के लिए Agent को आवश्यक कार्य करने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तथा ऐसे कार्यों से मालिक बाध्य होता है।

आवश्यकता के अभिकरण की मान्यता का मापदण्ड निम्न है- (i) परिस्थिति विशेष में अभिकर्ता द्वारा मालिक की सम्मति या निर्देश प्राप्त करना संभव न हो तथा जब मालिक का सम्मति व निर्देश प्राप्त किया जा सकता है तो सम्मति या निर्देश प्राप्त करके ही उसके निमित कार्य किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्य से सम्बन्धित विलियम बनाम ट्वीडेका वाद उल्लेखनीय है इस वाद में प्रतिवादी के बस का चालक शराब के नशे में था। पुलिस ने उसे बस चलाने से मना किया। बस, मालिक के डिपो के नजदीक ही था। बस के परिचालक ने एक दूसरे व्यक्ति को बस चलाकर डिपो तक पहुँचाने को कहा, जब दूसरा व्यक्ति बस चला रहा था उसकी लापरवाही से दुर्घटना हुई, वादी घायल हुआ। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बस मालिक दायी नहीं है। बस डिपो इतना नजदीक था कि मालिक की सम्मति प्राप्त की जा सकती थी।

(ii) अभिकर्ता ने जो कुछ कार्य किया है वह उस समय आवश्यक था। आवश्यकता का अर्थ है- युक्तियुक्त रूप से आवश्यक जो तथ्य के आधार पर अभिनिश्चित किया जा सकता है जैसे- संकट, दूसरी- सुरक्षित स्थान की प्राप्ति, खर्चे इत्यादि।

धारा 189 आपात में अभिकर्ता का प्राधिकार → Agent को आपात में यह प्राधिकार है कि हानि से अपने मालिक का सुरक्षा करने के प्रयोजन से ऐसे सभी कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञावाला व्यक्ति अपने माल में, वैसी ही परिस्थितियों में करता है।

(5) विबन्ध द्वारा स्थापित अभिकरण (Agency by Estoppel) यह आचरण द्वारा उत्पन्न अभिकरण के अन्तर्गत स्थापित होता है।

Scanned with CamScanner

P5 अभिकरण की स्थापना के विभिन्न तरीके
Different Modes for creation of Agency

जब कोई व्यक्ति आचरण द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपना अभिकर्ता होने का प्रदर्शन करने देता है तथा तीसरा व्यक्ति उस पर विश्वास करके उससे संव्यवहार करता है तो प्रदर्शन करने देने वाला व्यक्ति ऐसा करने से विवन्धित कर दिया जाता है कि वह अभिकर्ता उसका अभिकर्ता नहीं था। अर्थात जब अभिकर्ता मालिक के प्राधिकार के बिना कोई कार्य या तीसरे व्यक्ति से संव्यवहार करता है और मालिक अपने आचरण या शब्दों द्वारा उस तीसरे व्यक्ति को कार्य या संव्यवहार अधिकार क्षेत्र के भीतर होने का विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वह उसके किये गये कार्यों से बाध्य होगा।

अमेरिकन वाद जॉनसन बनाम मिलवान्की में विबन्ध के सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है "जब मालिक अपने अभिकर्ता को ऐसी स्थिति धारण करने देता है कि कोई भी साधारण बुद्धिवाला व्यक्ति यह समझ कर कि अभिकर्ता को कोई विशेष कार्य करने का प्राधिकार है, ऐसा करने का संव्यवहार अभिकर्ता से कर लेता है तो ऐसे अन्य व्यक्तियों के प्रति मालिक विबन्ध से बाध्य होगा और वह यह नहीं कह सकता है कि अभिकर्ता को ऐसा कार्य करने का प्राधिकार नहीं था।

धारा 237 यह विश्वास उत्प्रेरित करने वाले मालिक का दायित्व कि अभिकर्ता के अप्राधिकृत कार्य प्राधिकृत थे - जबकि अभिकर्ता ने प्राधिकार के बिना अपने मालिक की ओर से कार्य किये हों या पर व्यक्ति के प्रति बाध्यता उपगत की हो तब मालिक ऐसे कार्यों या बाध्यताओं से आबद्ध होगा। यदि मालिक ने अपने शब्दों या आचरण से ऐसे पर व्यक्तियों को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित किया हो कि ऐसे कार्य और बाध्यतायें उस अभिकर्ता के प्राधिकार के विस्तार के भीतर थे।